

ENGLISH	Hindi/हिन्दी
Background	पृष्ठभूमि
Victoria is the first state in Australia to pass voluntary assisted dying laws. The Voluntary Assisted Dying Act (2017) provides a safe legal framework for people who are suffering and dying to choose the manner and timing of their death.	विक्टोरिया सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु से सम्बन्धित कानून पारित करने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य है। Voluntary Assisted Dying Act (2017) (सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु अधिनियम 2017) उन लोगों के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो पीड़ा सहते हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं तािक वे अपनी मृत्यु की विधि और समय का चयन कर सकें।
With comprehensive safeguards and rigorous protections, the process for accessing voluntary assisted dying in Victoria will be the safest and most conservative in the world.	व्यापक सुरक्षा उपायों और कड़े संरक्षण के साथ, विक्टोरिया में सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु तक पहुँच प्राप्त करने की प्रक्रिया विश्व में सबसे सुरक्षित तथा सबसे अधिक संरक्षित होगी।
What is voluntary assisted dying?	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु क्या है?
Voluntary assisted dying means administering a substance for the purpose of causing death in accordance with the steps and process set out in law.	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का अर्थ है कि कानून में निर्धारित चरणों और प्रक्रिया के अनुसार मृत्यु देने के उद्देश्य के लिए किसी पदार्थ की व्यवस्था करना।
Voluntary assisted dying must be voluntary and initiated by the person themselves, and it will usually be self-administered. Only those who are already dying from an incurable, advanced and progressive disease, illness or medical condition will be able to access voluntary assisted dying.	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु स्वैच्छिक होनी चाहिए और इसे व्यक्ति द्वारा खुद शुरू किया जाना चाहिए और आम-तौर पर यह आत्म-प्रबंधित होगी। केवल वे व्यक्ति ही सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा प्राप्त कर सकते हैं जो पहले से ही लाइलाज, अग्रिम और तेजी से फैलने वाले रोग, बीमारी या चिकित्सीय समस्या से पीड़ित होने के कारण अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं।
Voluntary assisted dying is only for those who face an inevitable, imminent	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी लाइलाज रोग, बीमारी या

T: 1300 88 55 61

INTL: +61 3 95 10 96 61



death as a result of an incurable disease, illness or medical condition.	चिकित्सीय समस्या से पीड़ित होने के कारण निश्चित व निकटस्थ मृत्यु का सामना कर रहे होते हैं।
Why is there a law?	इसके लिए कानून क्यों बनाया गया है?
Voluntary assisted dying is a process where an eligible individual (and only that individual) who is at the end of their life, and suffering, may choose the manner and timing of their death, after following steps set out in Victorian law.	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ कोई ऐसा पात्र व्यक्ति (और केवल वह व्यक्ति ही) जो अपने जीवन के अंतिम समय में होता है, और जो पीड़ा का सामना कर रहा होता है, वह विक्टोरियाई कानून में निर्धारित चरणों का अनुपालन करके अपनी मृत्यु की विधि और समय का चयन कर सकता है।
The law means that a person may be assisted by medical practitioners to access a substance to use to end their life at a time of their choosing. The process ensures the person's decision is voluntary and enduring and provides clear guidance for how medical practitioners can lawfully support the person in this choice.	कानून का अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा चयन किए गए समय पर अपना जीवन समाप्त करने के लिए किसी पदार्थ का प्रयोग करने और उस तक पहुँच प्राप्त करने में चिकित्सीय पेशेवर उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति का फैसला स्वैच्छिक और सहनीय है और यह इस संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है कि चिकित्सीय पेशेवर इस फैसले में किस प्रकार कानूनी तौर पर उस व्यक्ति का समर्थन कर सकते हैं।
The law also provides a range of protections to make sure that voluntary assisted dying is safely implemented and monitored in Victoria.	कानून विभिन्न प्रकार के संरक्षण भी प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु विक्टोरिया में सुरक्षित रूप से लागू और जाँच की जाती है।
Who is able to access voluntary assisted dying?	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा कौन प्राप्त करने में सक्षम है?
Voluntary assisted dying is only for people who are suffering from an incurable, advanced and progressive disease, illness or medical condition, who are experiencing intolerable suffering. The condition must be	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा केवल उन लोगों के लिए है जो किसी लाइलाज, अग्रिम और प्रगतिशील रोग, बीमारी या चिकित्सीय समस्या से ग्रस्त हैं, और जो असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। इस दशा का आकलन दो चिकित्सीय





assessed by two medical practitioners to be expected to cause death within six months.	पेशेवरों द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए जो यह दर्शाता हो कि इसके कारण छ: महीनों में मृत्यु होने का अनुमान है।
There is an exception for a person suffering from a neurodegenerative condition, where instead the condition must be expected to cause death within 12 months.	इसमें न्यूरोडीजेनेरेटिव समस्या से ग्रस्त व्यक्ति के लिए अपवाद है, इस स्थिति में समस्या के कारण 12 महीनों में मृत्यु होने का अनुमान लगाया जाना चाहिए।
Voluntary assisted dying will only be available to Victorians who are over the age of 18 who have lived in Victoria for at least 12 months, and who have decision-making capacity. To be eligible for voluntary assisted dying they must be experiencing suffering that cannot be relieved in a manner the person considers tolerable.	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा केवल उन विक्टोरियाई लोगों को उपलब्ध होगी जिनकी आयु 18 साल से अधिक हो और जो कम से कम 12 महीनों के लिए विक्टोरिया में रह चुके हों, और जिनमें निर्णय लेने की क्षमता हो। सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की पात्रता के लिए, यह ज़रूरी है कि वे ऐसी पीड़ा का अनुभव कर रहे हों जिससे किसी ऐसे तरीके से राहत न दिलाई जा सकती हो जो उस व्यक्ति को सहनीय लगता हो।
Mental illness or disability alone are not grounds for access to voluntary assisted dying, but people who meet all other criteria, and who have a disability or mental illness, will not be denied access to voluntary assisted dying.	केवल मानसिक रोग या विकलांगता सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा प्राप्त करने के आधार नहीं हैं, परन्तु वे लोग जो बाकी सभी मानदण्ड पूरे करते हैं, और जो विकलांगता या मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।
How will voluntary assisted dying work?	सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की सेवा कैसे काम करेगी?
Only the person wanting to access voluntary assisted dying may initiate discussions with health practitioners about voluntary assisted dying.	केवल वह व्यक्ति ही सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के बारे में स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ इसकी चर्चा शुरू कर सकता है जो सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा प्राप्त करना चाहता है।
A family member or carer can't request voluntary assisted dying on somebody else's behalf. This is to ensure that the request is completely voluntary and	परिवार का कोई सदस्य या देखरेखकर्ता किसी अन्य व्यक्ति की ओर से सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु के लिए निवेदन नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निवेदन पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसमें किसी के साथ

T: 1300 88 55 61 INTL: +61 3 95 10 96 61



without coercion, and that the decision ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की गई है और यह फैसला is the person's own. उस व्यक्ति का अपना फैसला है। यदि कोई व्यक्ति सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा के If a person wants to request access to voluntary assisted dying, they will need लिए निवेदन करना चाहता है. तो यह ज़रूरी है कि to be assessed by a suitably qualified उचित रूप से प्रशिक्षित कोई डॉक्टर उसका doctor who will determine if the person आकलन करे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि is eligible. If the person is eligible, the क्या व्यक्ति इसके लिए पात्र है या नहीं। यदि व्यक्ति process is repeated with a second इसके लिए पात्र है, तो यह प्रक्रिया किसी दूसरे doctor who will need to conduct another assessment. The doctors will make sure डॉक्टर के साथ दोहराई जाएगी जिसके लिए एक the person is making a fully informed अन्य आकलन करना ज़रूरी होगा। डॉक्टर यह decision and is aware of the available सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति पूरी जानकारी के palliative care options. बाद निर्णय ले रहा है और उसे उपलब्ध प्रशामक देखरेख विकल्पों की जानकारी है। If the person wishes to proceed, they यदि वह व्यक्ति अपने फैसले पर आगे बढ़ना चाहता will need to make a written declaration है, तो उसे एक लिखित घोषणा करनी होगी जिसके that is witnessed by two independent साक्षी दो स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए, ताकि यह individuals, confirming that they are पृष्टि हो सके कि वह व्यक्ति सहायता प्राप्त making an informed, voluntary and इच्छामृत्यु सेवा प्राप्त करने के लिए एक जानकारी enduring decision to access voluntary प्राप्त. स्वैच्छिक और स्थायी निर्णय ले रहा है। assisted dying. On receiving a final request, the doctor अंतिम निवेदन प्राप्त करने पर, डॉक्टर किसी ऐसे will apply for a permit to prescribe a पदार्थ को प्रिस्क्राइब करने के लिए परमिट लेने का substance that the person may use to आवेदन करेगा जिसका प्रयोग वह व्यक्ति अपने end their life at a time of their choosing. द्वारा चुने समय पर अपना जीवन समाप्त करने के The person must administer the लिए कर सकता है। यह ज़रूरी है कि वह व्यक्ति substance themselves, unless they are खुद से उस पदार्थ का सेवन करे, बशर्ते कि वह physically unable to do so, in which case their doctor may assist. शारीरिक रूप से ऐसा करने में असक्षम हों, अन्यथा ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर सहायता कर सकता है। No health practitioner or healthcare किसी स्वास्थ्य पेशेवर या स्वास्थ्य-देखरेख प्रदाता provider will be obliged to participate in के लिए सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु सेवा में भाग voluntary assisted dying. लेना बाध्यकारी नहीं होगा। Are there safeguards? क्या इसमें कोई सुरक्षा उपाय शामिल हैं?





The process set out in the law includes many steps and safeguards to make sure that people are not being pressured to participate in the voluntary assisted dying process, and that it is completely voluntary.

कानून में निर्धारित प्रक्रिया में कई चरण और सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोगों पर दवाब नहीं डाला जा रहा है, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक है।

The Voluntary Assisted Dying Review Board will monitor all activity under the law and will receive reports from all health practitioners who participate. The Board will make sure that the Act is being complied with and will also monitor substance permit applications.

Voluntary Assisted Dying Review Board (सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु समीक्षा समीति) कानून के तहत सभी गतिविधियों पर नज़र रखेगी और भाग लेने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों से रिपोर्ट्स प्राप्त करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अधिनियम का अनुपालन किया जा रहा है और यह पदार्थ संबंधी परमिट आवेदनों पर भी नज़र रखेगी।

A person who is prescribed a voluntary assisted dying substance will also appoint a contact person so that any unused substance will be safely returned.

जिस व्यक्ति को सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु का पदार्थ प्रिस्क्राइब किया जाता है, वह एक संपर्क व्यक्ति को भी नियुक्त करेगा ताकि प्रयोग न किए गए किसी पदार्थ को सुरक्षित रूप से वापिस लौटाया जाए।

When will voluntary assisted dying be available in Victoria?

सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु विक्टोरिया में कब उपलब्ध होगी?

The law comes into effect on 19 June 2019. After this date, people who meet the set of strict eligibility criteria will be able to request access to voluntary assisted dying. All people at the end of life will be supported to receive access to appropriate end of life care options.

कानून 19 जून 2019 से लागू होगा। इस दिनांक के बाद, कड़े पात्रता मानदण्ड पूरे करने वाले लोग सहायता प्राप्त इच्छामृत्य सेवा का निवेदन करने में सक्षम होंगे। अपनी अंतिम सांसे गिनने वाले सभी लोगों का जीवन समाप्त करने के उचित विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए समर्थन किया जाएगा।

The Victorian Government is currently working to help health practitioners and health services prepare for providing voluntary assisted dying, including how to support those that choose to participate as well as those who conscientiously object.

विक्टोरियाई सरकार वर्तमान में सहायता प्राप्त इच्छामृत्यु प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने के लिए काम कर रही है, इसमें यह शामिल है कि इसमें भाग लेने का निर्णय लेने वाले तथा साथ ही कर्तव्यनिष्ठा T: 1300 88 55 61

INTL: +61 3 95 10 96 61



	से इसमें भाग लेने से मना करने वाले पेशेवरों का समर्थन कैसे किया जाए।
Support services	सहायता सेवाएँ
Some people may find issues relating to end of life care upsetting. If reading the material on this site or thinking about end of life care has raised some issues regarding grief and bereavement or personal crisis, the helplines below provide telephone support and counselling 24 hours a day, 7 days a week. Some services may also provide online assistance (depending on the service).	हो सकता है कि कुछ लोगों को जीवन समाप्त करने से संबंधित मामले परेशान करने वाले लगें। यदि इस वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री पढ़ने या जीवन समाप्त करने से संबंधित सोच-विचार करने के कारण कोई शोक और वियोग या व्यक्तिगत संकटकाल उत्पन्न हो, तो नीचे दी गई सहायता सेवाएँ सप्ताह में 7 दिन, और दिन में 24 घंटे टेलीफोन सहायता और सलाह प्रदान करती हैं। हो सकता है कि कुछ सेवाएँ ऑनलाइन सहायता भी प्रदान करें (सेवा पर निर्भर करते हुए)।
Australian Centre for Grief and Bereavement Tel. 1800 642 066	Australian Centre for Grief and Bereavement (शोक एवं वियोग ऑस्ट्रेलियाई केन्द्र) टेलीफोन: 1800 642 066
Lifeline Tel. 13 11 14	Lifeline (जीवन-रेखा) टेलीफोन: 13 11 14